राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.1(01)न्याय/2025 जयपुर, दिनांक: 05.05.2025

::अधिसूचना::

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (सन् 2012 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 32) की धारा 28 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (सन् 2006 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, के परामर्श से निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित विशेष न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है जिनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 एवं क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

क्रम संख्या	विशेष न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार राजस्व जिला
1	2	3	4
1	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005 संख्या-2, बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा
2	विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005 संख्या-2, जोधपुर महानगर	जोधपुर महानगर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा

साथ ही वर्तमान में कार्यरत विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005, बीकानेर एवं जोधपुर महानगर का नाम परिवर्तित करते हुए विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईटस एक्ट, 2005 संख्या-1, बीकानेर एवं जोधपुर महानगर निर्धारित किया जाता है, एवं उक्त न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यायालय को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

05.5.25

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/03/2025/.811 Date:09/05/2025

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars/ OSD, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench (Registrar CPC with a request to upload the same on high court website)
2. The District & Sessions Judge, Bikaner/ Jodhpur Metro.
3. The concerned courts.
4. The Chief Judicial Magistrate, Bikaner/ Jodhpur Metro.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt. & Leave/ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building/ Computer Cell Rajasthan High Court, Jodhpur.

09/05/2025

REGISTRAR (RULES)